कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन (म.प्र.)

e-mail wrdkhargone@gmail.com Cont. No. 07282-241220

पत्र कमांक 4210/कार्य/रोशिया–वन./2022 खरगोन, दिनांक 05/12/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल.

विषयः– जिला खण्डवा एवं जिला खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वन मण्डल, खण्डवा की 36.315 हेक्टर वनभूमि एवं वनमण्डल, खरगोन की 3.40 हेक्टर वनभूमि कुल 39.715 हेक्टर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमाक–6–MPCO54/2021–BHO/13.10.2021

2. आपका पत्र कमांक F-3/50/2014/10–11/15/3854/भोपाल, दिनांक 22.11.2021

3. आपका पत्र कमांक F-3/50/2014/10–11/15/3249/भोपाल, दिनांक 20.09.2022

———000———

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संभाग अधीन विकासखण्ड, भीकनगॉव में स्वीकृत राशिया तालाब योजना से 39.715 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होती है। प्रभावित वनभूमि के प्रस्तुत वन प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के माध्यम से 05 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी। वांछित बिन्दुवार जानकारी के पालनार्थ कार्यालयीन पत्र क्र. 2951/कार्य/रोशिया–वन/2022 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा तीन बिन्दु क्रमशः बिन्दु क्र. 1, 2 एवं 3 की जानकारी आपकी ओर प्रेषित है। शेष दो बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. बिन्दु क्र.–4 :– संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. खण्डवा परियोजना मण्डल, खण्डवा से वांछित अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के फलस्वरूप राशि रू. 14164831/– की मांग की गई थी, तत्संबंध में दिनांक 23.11.2022 को अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, खरगोन द्वारा आपसे समक्ष मे उपस्थित होकर चर्चा

निरन्तर....2.....

की गई थी। चर्चा में वांछित राशि, प्रकरण के प्रथम चरण की स्वीकृति में प्राप्त कर ली जावेगी। अतः बिन्दु क्र.–4 के संबंध में समक्ष में, चर्चा अनुसार सहमति व्यक्त की गई है।

2. बिन्दु क्र.–5 :– परियोजना अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र (वन भूमि एवं गैर वन भूमि) की के.एम.एल. फाईल जिसमें वन भूमि एवं गैर वन भूमि को पृथक–पृथक रंगों से दर्शाया जाकर संलग्न (साफ्ट कॉपी में) प्रस्तुत है।

अतः प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अनुरोध है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ कमांक५२११/कार्य/रोशिया–वन./2022 खरगोन, दिनांक 05/12/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षैत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा/खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभागीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगॉव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है कि योजना के प्रथम चरण की स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन